(8)

133/2019

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.9.2022 मूल पत्रावली माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर से प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.09.2022 के द्वारा वादी नरिया वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की गई है। अतः पत्रावली वास्ते-पूर्व स्थिति अनुसार आइंदा कार्यवाही दिनांक 06.10.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	Notice Date of 06.10.22
06.10.2022 पत्रावली पेश हुई। वादी संख्या 01 मय वकील वादीगण उपस्थित। वकील उप. प्रतिवादी संख्या 1 से 04 के वकील उप. शेष प्रतिवादी अनु. वादी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते-सुनवाई की तारीख इल्तवा करने बाबत पेश की गई। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 cpc 42 उभयपक्षों अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.6.22 को सुनी जाकर आदेश हेतु दिनांक 27.6.2022 को मुकर्रर की गई थी. इसी बीच वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना-पत्र स्थानान्तरण करने का माननीय जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष पेश की गई, सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	और उक्त पत्रावली को माननीय न्यायालय को प्रेषित की गई। जो माननीय न्यायालय जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 27.9.22 को वादी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया और मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर आज वादी-प्रार्थना-पत्र आदेश हेतु मुकर्रर की गई थी। और आज नियत पेशी पर वादी संख्या 01 की ओर से प्रकरण में आगे तारीख पेशी 15-20 दिन देने बाबत, पेश की गई। उक्त प्रार्थना-पत्र पेश करने से ही प्रतीत होता है, कि वादी पक्ष येन-केन प्रकार से प्रकरण को लम्बित करना चाहते हैं, जो कि न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि त्वरित रूप से न्याय होना चाहिए। लेकिन वादी केवलमात्र प्रकरण को लम्बित करने की मंशा रखता है, ऐसी सूरत में वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निरस्त की जाती है। और उभयपक्ष अधिवक्ताओं की O-7, R-11 CPC पर मजीद बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की बहस है, कि वादी पक्ष की ओर से हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 06 नगर परिषद बालोतरा (प्रशासित पक्षकार) के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, लेकिन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वाद प्रस्तुत करने के पूर्व नगर पालिका को धारा 304 (3) नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक नोटिस नहीं दिया है और न ही नोटिस दिये जाने छूट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अभाव में इस्तगासा वाद चलने योग्य नहीं है। वादी पक्ष ने प्रतिवादी संख्या 06 को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 80 CPC के तहत कोई नोटिस नहीं दिया है और न ही नोटिस दिये जाने में छूट देने धारा 80 (2) CPC का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे।	
इसके विपरीत वकील वादीगण की मजीद बहस है, कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थना-पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने के कारण निरस्त योग्य है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 05 व खसरा नम्बर 1428/745 को अतिक्रमण के हटाने बाबत् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो उक्त है, धारा 80 CPC के प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के नहीं है, अतिरिक्त इसके प्रतिवादक के विरुद्ध कोई अनुतोष वर्तमान वाद में नहीं चाहा गया है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।	
हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिया। जिसमें प्रार्थी वादीगण की ओर से विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 05 व 6 को पक्षकार बनाया है, जो कि शासकीय पक्षकार है। बावजूद प्रतिवादी संख्या 05 के विरुद्ध कोई भी वाद लाने से पूर्व नगर पालिका अधिनियम 304 (3) के तहत नोटिस दो माह पूर्व दिया जाना आवश्यक है, इस नोटिस के अभाव के कारण नगर पालिका के विरुद्ध वाद पेश ही नहीं किया जा सकता है। जो कि वादी पक्ष ने इसकी पालना नहीं की गई है, क्योंकि उनकी ओर से ऐसा नोटिस दिये जाने की बाबत वादपत्र के साथ नोटिस रसीदें पेश नहीं की गई है। इसीप्रकार से प्रतिवादी संख्या 06 को भी कोई 80 cpc Notice व 80(2) CPC के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं की गई है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद खारिज योग्य है। लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र O-07, R-11 CPC स्वीकार की जाकर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी होवे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मियाद रजुआत होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा